न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH.-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–149/2013
प्रकरण दायर दिनांकः– 19.08.2013
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 29.09.2023

उनवान– 1. भजनलाल
2. गोविन्दसहाय
3. गोपाल
} पुत्रान हरबक्स जाति गुर्जर निवासी साहूपाडा, तह. बसवा, जिला दौसा

बनाम

1. रामकरण पुत्र हरबक्स जाति गुर्जर निवासी साहूपाडा तहसील बसवा जिला दौसा
2. कमला देवी पत्नि रामसिंह जाति गुर्जर निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा
3. मीना देवी पत्नि किशनलाल जाति गुर्जर निवासी साहूपाडा तहसील बसवा जिला दौसा
4. हुकमसिंह पुत्र किशनलाल नाबालिग सरपरस्त माता खुद मीना देवी गुर्जर पत्नि किशनलाल निवासी साहूपाडा तह. बसवा।
5. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बॉदीकुई
6. जयपुर थार ग्रामीण बैंक, शाखा बॉदीकुई।
7. लक्ष्मी पत्नि रामनिवास
8. रूपली पत्नि गुट्ठल
} जाति गुर्जर निवासी साहूपाडा तहसील बसवा जिला दौसा
9. तहसीलदार बसवा, जरिये लैण्ड होल्डर बसवा।
10. उप पंजीयक बसवा, तहसील बसवा, जिला दौसा

दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं.–149/2013 सन्–2013

निर्णय दिनांकः 29.09.2023

वादीगण द्वारा वाद पत्र दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से पेश किया कि ग्राम मौजा साहूपाडा तह. बसवा जिला दौसा में भूमि काश्त खतौनी सं. नयी 51 पुरानी 71 के आराजी खसरा नं. 280, 280/811, 284, 476 लगायत 485, 491, 491/770, 493, 495, 496, 497, 497/769, 498, 499, 502, 697 लगा. 701, 737 कुल किता 29 कुल रकबा 10.31 हैक्ट. एवं खाता सं. नई 50 पुरानी 70 के खसरा नं. 84, 85, 86 कुल किता 03 कुल रकबा 1.33 हैक्ट. शामलाती खातेदारी भूमि है। भूमि मुतदाविया वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी भूमि है व हिस्सा अनुसार वादीगण भूमि मुतदाविया पर काबिज काश्त है। भूमि मुतदाविया का अभी तक विधिवत तकास्मा नही हुआ है, लेकिन वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपनी हिस्से अनुसार भूमि को मन समाई से बॉटकर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं। प्रतिवादीगण कुछ समय से वादीगण के हिस्सा अनुसार काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं व काश्त करने में मजाहमत पैदा करते हैं, फसल बोते व काटते समय प्रतिवादीगण वादीगण से विवाद करते हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण से अपने कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा नही करने व उक्त भूमि मुतदाविया का विधिवत सरस नरस तकास्मा कराने को कहा तो वादीगण से साफ इन्कार हो गये तथा वादीगण को उनके हिस्से की भूमि में कब्जे काश्त में व्यवधान कराने तथा वादीगण के हिस्से की भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहन बय करने की ऐलानिया धमकी दी।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकई (दौसा)

Scanned with CamScanner

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि मुतदाविया खतौनी सं. नयी 51 पुरानी 71 के आराजी खसरा नं. 280, 280/811, 284, 476 लगायत 485, 491, 491/770, 493, 495, 496, 497, 497/769, 498, 499, 502, 697 लगा. 701, 737 कुल किता 29 कुल रकबा 10.31 हैक्ट. एवं खाता सं. नई 50 पुरानी 70 के खसरा नं. 84, 85, 86 कुल किता 03 कुल रकबा 1.33 हैक्ट. वाके रामा साहूपाडा तह. बसवा जिला दौसा का वादीगण के हिस्से अनुसार सरस नरस के हिसाब से तकास्मा करवाया जाकर वादीगण का हिस्सा अलग से कायम किया जावे व भूमि मुतदाविया में वादीगण के हिस्से अनुसार वादीगण का खाता अलग से खोला जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादपत्र में वर्णित भूमि खसरा नं. 280, 280/811, 284, 476 लगायत 485, 491, 491/770, 493, 495, 496, 497, 497/769, 498, 499, 502, 697 लगा. 701, 737 कुल किता 29 कुल रकबा 10.31 हैक्ट. एवं खसरा नं. 84, 85, 86 कुल किता 03 कुल रकबा 1.33 हैक्ट. वाके रामा साहूपाडा तह. बसवा जिला दौसा में वादीगण के हिस्से अनुसार कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा न करें व उक्त भूमि मुतदाविया का जब तक विधिवत तकास्मा नहीं होता, तब तक उक्त भूमि मुतदाविया को किसी दीगर शख्स को रहन बेचान करने से व वादीगण के साथ झगडा फिसाद करने से बाज व मुमतनाह रहें।

वादीगण वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादी सं. 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। उभयपक्ष वकील द्वारा वाद को प्राथमिक डिक्री कर वादग्रस्त भूमि का सरस–नरस तकास्मा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की। इस बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष वकील द्वारा सहमति प्रकट करने पर वादी वाद तकास्मा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया गया। तथा तहसीलदार बसवा को वादग्रस्त भूमि खतौनी सं. नयी 51 पुरानी 71 के आराजी खसरा नं. 280, 280/811, 284, 476 लगायत 485, 491, 491/770, 493, 495, 496, 497, 497/769, 498, 499, 502, 697 लगा. 701, 737 कुल किता 29 कुल रकबा 10.31 हैक्ट. एवं खाता सं. नई 50 पुरानी 70 के खसरा नं. 84, 85, 86 कुल किता 03 कुल रकबा 1.33 हैक्ट. वाके रामा साहूपाडा तह. बसवा जिला दौसा का मौका व रास्ते आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुये सरस नरस मौका विभाजन कर कुरैजात प्रस्ताव बरंग सुर्ख नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते मंसूख किये जाने प्राथमिक डिक्री दिनांकः 17.03.2017 एकतरफा एवं अन्तर्गत धारा 151, आदेश 9 नियम 13 जा.दी. पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया।

तहसीलदार बसवा के पत्र क्रमांकः 3584 दिनांकः 11.03.2022 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुरैजात का उभयपक्ष वकील द्वारा अवलोकन किया गया। प्राप्त कुरैजात पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। हमने बहस उभपक्षवकील पर मनन किया एवं तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव दिनांकः 07.03.2022 का अवलोकन किया गया। प्राप्त कुरैजात तहसीलदार बसवा द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है–

नाम ग्राम	खसरा नं.	रकवा	वर्तमान कुरैजात प्रस्ताव के अनुसार खातेदारी			
			क्रम सं.	नाम काश्तकार व वल्दियत	खसरा नंबर	रकबा
साहूपाडा	280 280/811 284 697 698 699 700 701 737	0.83 0.01 0.07 0.30 0.26 0.07 0.21 0.27 1.89	1.	गोपाल पुत्र हरबक्स जाति गुर्जर राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा बॉदीकुई सा. देह खातेदार	284/1 280/1 699 700 737/1	0.04 0.18 0.07 0.21 0.48
				योग	किता–05	0.98 हैक्ट.
योग	किता 09	3.91 है०				

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

478	0.28			478	0.28
479	0.06			480	0.54
480	0.04			479	0.06
481	0.02			481	0.02
482	0.50		योग	किता 6	1.75 हैक्ट.
483	0.87	2.	मीना देवी पत्नि किशनलाल हि. 1/2, हुकुम पुत्र किशन लाल हि. 1/2 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	482	0.50
484	0.04			483	0.87
485	0.31			485	0.31
491	0.71			484/1	0.03
491/770	0.22			493	0.29
493	0.29		योग	किता 5	2.00 हैक्ट.
495	0.28	3.	हरिनारायण पुत्र भींवा जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	484/2	0.01
496	0.17			491	0.71
497	0.22			491/770	0.22
497/769	0.25			495/1	0.26
498	0.34		योग	किता 4	1.20 हैक्ट.
499	0.35				
502	0.10				
योग किता 20	6.40 हैक्ट.	4.	गोपाल पुत्र हरबक्स जाति गुर्जर राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा बॉदीकुई सा. देह	499/2	0.27
				502	0.10
			योग	किता 2	0.37 हैक्ट.
		5.	गोविन्दसहाय पुत्र हरबक्स जाति गुर्जर सा. देह राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा बॉदीकुई	497/2	0.05
				497/767	0.25
				498/1	0.06
			योग	किता 4	0.36 हैक्ट.
		6.	भजनलाल पुत्र हरबक्स जाति गुर्जर सा. देह राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा बॉदीकुई	498/2	0.28
				499/1	0.08
			योग	किता 2	0.36 हैक्ट.
		7.	रामकरण पुत्र हरबक्स जाति गुर्जर सा. देह राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा बॉदीकुई	495/2	0.02
				496	0.17
				497/1	0.17
			योग	किता 3	0.36 हैक्ट.

कुरेजात, निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। अंतिम डिकी जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदनानुसार नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बॉदीकुई (दौसा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई

Scanned with CamScanner